रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 1989/ज्येष्ठ 31, 1911
No. 366] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 1989/JYAISTHA 31, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a ·pilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

न दिल्ली, 20 जून, 1989

का.आ. 474(अ राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ एकवां संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में "संचार मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "ख. दूरसंचार विभाग" उपशीर्ष के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1. अन्य देशों के साथ उन मामलों से संबंधित संधियों और करारों का कार्यान्वयन, जो दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आते हैं;

2. दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के नामे डाले जाने वाले संकर्मों का निष्पादन, जिसके अंतर्गत भूमि का क्रय और अर्जन भी है;

3. तार, टेलीफोन, तार, आंकड़े, प्रतिकृति संबंधी और टेलीमेटिक सेवाएं तथा ऐसे ही संचार के अन्य रूप;

4. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, हिन्दुस्तान टेली-प्रिंटर्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड और टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड ;

5. दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिनके अंतर्गत इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू), इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन बोर्ड (आईएफआरबी), कंसल्टेटिव कमेटी आन इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन्स (सीसीआईटीटी), कंसल्टेटिव कमेटी आन इंटरनेशनल रेडियो (सीसीआईआर), इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन सेटेलाईट आर्गेनाइजेशन (इंटेलसैट), इंटरनेशनल, मैरीटाइम सेटेलाइट आर्गेनाइजेशन (इनमारसैट), एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिकेशन (एटीसी) जैसे दूरसंचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी हैं;

6. दूरसंचार में अनुसंधान और विकास की प्रोन्नति तथा दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (टीआरसी) से संबंधित मामले;

7. दूरसंचार विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले;

8. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले;

9. दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए तथा दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त रूप से जनशक्ति बनाने के लिए आर्थिक सहायता, जिसके अंतर्गत—

(i) विकसित वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए संस्थाओं, वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सहायता; और

(ii) शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्र-वृत्तियां मंजूर करना और व्यक्तियों को अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिनमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं ;

10. दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित स्टोर सामान और उपस्कर की उपाप्ति;

11. दूरसंचार विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां;

12. इस सूची में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध ;

13. इस सूची में उल्लिखित किसी मामले के प्रयोजन के लिए पूछताछ और आंकड़े;

14. इस सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में फीस, किंतु इसमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस सम्मिलित नहीं है।"

आर. वेंकटरामन
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/89-मवि.]

बीरक दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1989

S.O. 474(E):—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and first Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (DOORSANCHAR VIBHAG)", for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

"1. Implementation of treaties and agreements with other countries relating to matters dealt with in the Department of Telecommunications;

2. Execution of works including purchase and acquisition of land debitable to the capital budget pertaining to telecommunications,

3. Telegraphs, telephones, wireless, data, fascimile and telematic services and other like forms of communications,

4. Indian Telephone Industries Limited, Hindustan Teleprinters Limited, Mahanagar Telephone Nigam Limited, Videsh Sanchar Nigam Limited, and Telecommunications Consultants (India) Limited,

5. International relations in matters connected with telecommunications, including matters relating to all international bodies dealing with telecommunications such as, International Telecommunication Union (ITU), International

Frequency Regulation Board(IFRB), Consultative Committee on International Telegraph and Telephones (CCITT), Consultative Committee on International Radio (CCIR), International Telecommunication Sattelite Organisation (INTELSAT), International Maritime Sattelite Organisation (INMARSAT), Asia Pacific Telecommunication (ATP),

6. Promotion of Research and Development in telecommunications and matters relating to Telecom. Research Centre,

7. All matters relating to personnel under the control of the Department of Telecommunications,

8. All matters relating to Centre for Development of Telematics (C-DOT),

9. Financial assistance for the furtherance of research and study in telecommunications technology and for building up adequately trained manpower for telecom programme, including—

(i) assistance to institutions, assistance to scientific institutions and to universities for advanced scientific study and research; and

(ii) grant of scholarships to students in educational institutions and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the field of telecommunications,

10. Procurement of stores and equipment required by the Department of Telecommunications,

11. Financial sanctions relating to the Department of Telecommunications,

12. Offences against laws with respect to any of the matters in this list,

13. Enquiries and statistics for purpose of any of the matters in this list,

14. Fees in respect of any of the matters in this list, but not including fees taken in any court."

R. VENKATARAMAN,

President

[No. 72/2/1/89-Cab.]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989